

3-10-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील-
~~उपस्थित~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
 वीरे पर है। अन्वय पर है/का स्वागतारण
 है। अतः पत्रावली दि० 30-10-14
 को पेश हो।

रीडर

3-10-14 पत्रावली पेश हुई/अभिभावक संवन्ध कार्य
 का अन्वय किया है। P.O. साहब वीरे
 पर/अन्वय पर/अन्य कार्यो मे व्यस्त है।
 पत्रावली दि० 10-11-14 को पेश हो।

रीडर

10-12-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
 उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्यो मे व्यस्त
 वीरे पर है। अन्वय पर है/का स्वागतारण
 है। अतः पत्रावली दि० 12-2-15
 को पेश हो।

रीडर

12-2-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी
 पत्रावली दि० 19-3-2015 को पेश हो।

19-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी
 पत्रावली दि० 30-4-2015 को पेश हो।

30-4-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी
 पत्रावली दि० 4-6-2015 को पेश हो।

1657-58
 2015/16

3-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर खेडाबादरामगढ
 मे पेश हुई। वादी रामरूप व प्रतिवादी श्रीचंद ने
 उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया
 कि पक्षकारों द्वारा नदसीलदार जी गंगापूर के यहां
 सहमति से भूमि के खते अलग अलग करवा
 लिए हैं। इसलिये वादी को अपना दावा वापस लेने
 की अनुमति दी जावे। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार
 किया जाकर वादी को दावा वापस लेने की अनुमति
 दी जाती है। पचा डिक्री जारी किया जावे।
 पत्रावली फैसलानुमार होकर नम्बर से कम हो
 एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

श्री. शंकर

दि० 21/7/2015

(सतीश कुमार शर्मा, एडव.)
 सदस्य

लोक अदालत
 गंगापूर सिटी

(मुनिदव यादव)
 अध्यक्ष

लोक अदालत
 गंगापूर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेड़ाबाद रामगढ

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामरूप पुत्र स्व. बदरी, मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. श्रीचंद पुत्र स्व. बदरी मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
3. लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 44/2014

वादी की ओर से वादी रामरूप की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी श्रीचंद की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 03.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी वाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

रूपया:	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जों के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील		
जोड	जोड	